संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　दिनॉक 29-07-2021

आज दिनांक 29.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

थाना महुली पुलिस द्वारा दहेजमृत्यु कारित करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

आज दिनांक 29.07.2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ0 कौस्तुभ के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री रामप्रकाश के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियो पर नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थानाध्यक्ष महुली श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 221/2021 धारा 304(बी)/498(ए) भादवि व ¾ डीपी एक्ट में नामजद अभियुक्त वीरेन्द्र यादव पुत्र माताप्रसाद यादव निवासी चोलखरी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. वीरेन्द्र यादव पुत्र माताप्रसाद यादव निवासी चोलखरी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

घटना का संक्षिप्त विवरण - दिनांक 25.07.2021 को वादिनी मुकदमा श्रीमती गीतादेवी पत्नी स्व0 रामवृक्ष यादव निवासिनी शंकरपुर उर्फ बक्तुपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी कि उनकी पुत्री प्रीती की शादी वीरेन्द्र यादव पुत्र माताप्रसाद यादव निवासी चोलखरी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के साथ 2018 में हुई थी। मेरी लडकी प्रीती को आये दिन उसके पति वीरेन्द्र यादव पुत्र माताप्रसाद यादव सास तीसा देवी पत्नी स्व0 रामचन्द्र व उनके जेठ धर्मेन्द्र यादव पुत्र माताप्रसाद, श्वसुर माताप्रसाद, वीरेन्द्र की माता व उर्मिला ननद द्वारा दहेज की मांग करते हुए गाली गुप्ता देते हुए लगातार प्रताड़ित करते रहते थे। दिनांक 25.07.2021 को शाम लगभग 4.00 बजे उपरोक्त सभी अभियुक्तगण मिलकर हमारी लडकी प्रीति की हत्या कर फन्दे से लटका दिया। उक्त तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 29.07.2021 को उक्त नामित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 श्री सुनील कुमार सिंह, का0 संजय प्रसाद थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर।

संतकबीरनगर पुलिस

ससुराल आये युवक की हत्या के मामले में 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 198/2020 धारा 302 भादवि में वांछित अभियुक्तगण नाम पता 1- उदित नारायण पुत्र कुलदीप निवासी बेलहरकला टोला कोनहवा थाना बेलहरकला जनपद सतंकबीरनगर 2- संजना पत्नी मनीष निवासी कुआंवार टोला रेहरवा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर हाल मुकाम बेलहरकला टोला कोनहवा थाना बेलहरकला 3- कमलीवती देवी पत्नी कुलदीप निवासी बेलहरकला टोला कोनहवा थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया।

विदित हो कि अभियुक्तगण द्वारा वादी रामसेवक पुत्र रामनयन निवासी कुआंवार टोला रेहरवा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर के लड़के मनीष कुमार की उनके ससुराल में हत्या कर दी गयी थी। जिसके संबन्ध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा आज दिनांक 29.07.2021 को उक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला श्री अनिल कुमार दूबे, का0 सुरजीत पासवान, का0 अर्चित गिरि, म0का0 सुमन यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 1490 द्वारा मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त</u> – पीआरवी <u>1490</u> को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत कुरमौल से इवेन्ट संख्या 14352 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद में एक व्यक्ति (गोरख पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी कुरमौल) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर तत्काल 10 मिनट में पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाया गया तथा प्रतिवादी को थाना धनघटा को सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – आरक्षी अरविन्द तिवारी, म0आ0 ममता यादव, म0आ0 पूजा गौड़, आ0चा0 राजीव सोनकर।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 39 वाहनो से 27000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 39 वाहनो से 27000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।